

24614/2017


भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के नीचे के पद का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश
(उपर्युक्त भाग 'ख' या भाग 'ग' भाग 'घ' में किसी
अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल
टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

Recommended for
approval

दिनांक 24/5/18
स्थान Mumbai


हस्ताक्षर

नाम - डा० प्रशान्त कुमार
मुख्य वन संरक्षक / मोडल जंगल
वन (संरक्षण) अधिनियम-1987
सरकारी मोहर उ०प्र०, लखनऊ